क्रम-संख्या 15(क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 जनवरी, 2013

माघ 8, 1934 शक संवत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 170/80-1-2013-600(46)-88

लखनऊ, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

प0आ0–666

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उप खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4565 (I)/12-5–94-600 (108) (I)-88, दिनांक 15, दिसम्बर, 1994 में आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, मण्डी क्षेत्र में मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ के निकालने के पश्चात् बचा अवशेष के विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिकी के संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क की दर मण्डी क्षेत्र में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) यह अधिसूचना लम्बित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय और मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

(2) इस अधिसूचना के दिनांक तक दो प्रतिशत (2%) की दर से जमा अथवा देय मण्डी शुल्क जमा करना होगा। इस प्रकार जमा कोई भी धनराशि न तो समायोजित की जायेगी और न ही वापस की जायेगी। व्यापारी/रिट याची को इस संबंध में वचन देना होगा।

(3) मेन्था उत्पाद प्रमुखतः निर्यातोन्मुखी है। अतएव, इस पर लागू की गयी नीति व शुल्क की दर अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर लागू नहीं होगी तथा उदाहरण के रूप में स्वीकार नहीं होगी।

मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ के निकालने के पश्चात बचा अवशेष के अतिरिक्त सभी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर मण्डी शुल्क की दर मण्डी क्षेत्र में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की दो प्रतिशत पूर्ववत रहेगी।